

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रथम, जयपुर

अपील संख्या: 72/2018

RCMS No.—2018/00141



1. रतनलाल पुत्र रामप्रताप
2. तेजमल पुत्र हुनता
3. परमानन्द पुत्र रामकिशोर
4. रामफूल पुत्र रामकिशोर
5. दिनेश पुत्र रामकिशोर
6. पार्वती पत्नी रामकिशोर
7. श्रीबक्श पुत्र रघुनाथ
8. हनुमान पुत्र रघुनाथ
9. रामवतार पुत्र कैलाश
10. गोपी पत्नी कैलाश
11. अजय पुत्र कैलाश
12. सीता पुत्री कैलाश

नाबा. जरिये माता
श्रीमति गोपी

13. मूली पत्नी जगदीश जाति मीणा निवासी दीपुरा तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम भटेसरी तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...अपीलार्थी

बनाम

1. कजोडमल पुत्र छाजूराम
2. रूकमणी देवी पत्नी छाजूराम
3. रामपति पुत्री छाजूराम पत्नी राजेन्द्र कुमार
4. सीमा देवी पुत्री छाजूराम पत्नी मेवाराम
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

जाति मीणा झर की ढाणी,
ढोलकी, पो0 दूदली,
तहसील बस्सी जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार बस्सी, दिनांक 25.10.2018 बाबत नामान्तरकरण संख्या 826 बउनवानी रतनलाल वगैरह बनाम कजोडमल वगै.

उपस्थित:-

1. श्री रामधन चौधरी अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 17.07.2019


अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 25.10.2018 जिससे नामान्तरकरण संख्या 826 वाके ग्राम झर तहसील बस्सी रेस्पा0 संख्या एक लगायत चार के पक्ष में खोला जाकर स्वीकार किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.11.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। नोटिस जारी करने पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अपील पर बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन भूमि के संबंध में ए.सी.एम बस्सी के वाद संख्या 257/16, 47/17 की प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में लंबित थी एवं उक्त अपील संख्या 246/2018 में दिनांक 31.05.2018 को राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखी जाने का स्थगन आदेश पारित किया हुआ था, तो रेस्पा0 संख्या 5 तहसीलदार बस्सी को नामान्तकरण की कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिए थी एवं राजस्व मण्डल अजमेर के द्वितीय अपील विचाराधीन रहते हुए भी नामान्तकरण तस्दीक करने में गंभीर भूल की है। तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करते समय इस बात की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि मीणा जाति में स्त्रीयो, पुत्रियो को उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मीणा जाति के मृतक व्यक्ति की बेवा व पुत्रियो रेस्पा0 संख्या 2 लगायत 4 के नाम नामान्तकरण तस्दीक करने की शून्य आज्ञा पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करते समय नामान्तकरण की प्रक्रिया एवं नियमों की कतई पालना नहीं की तथा न ही भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 से 133 की कतई पालना की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बस्सी के आदेश दिनांक 25.10.2018 बाबत नामान्तकरण संख्या 826 निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथन के संदर्भ में न्यायिक दृष्टान आर.आर.डी 2006 पेज. 465, आर.आर.टी. 2014 (2) 901, 2014(2) आर.आर.टी. 903, आदि पेश किए।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने कथन किया कि तहसीलदार बस्सी द्वारा नामान्तकरण नियमानुसार सही खोला गया है। रेस्पाडेन्ट्स संख्या 2 के पति एवं रेस्पा0 संख्या 1,3,4 के पिता स्व. छाजूराम की मृत्यु होने पर उनके विधिक वारिसान जायन्दा पुत्र व पुत्रियों एवं पत्नी के नाम नामान्तकरण संख्या 826 तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है। रेस्पाडेन्ट्स स्व. छाजूराम के विधिक वारिसान है नामान्तरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते है। अपील जिनके हक में नामान्तकरण तस्दीक की गई है उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा पेश न की जाकर अन्य किसी दीगर व्यक्ति द्वारा पेश की गई है, जिनके कोई हक अधिकार अपीलाधीन भूमि में निहित नहीं है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश वादग्रस्त भूमि के खातेदार के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान के मध्य खोला गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।


अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर





हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का मय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल नामान्तरकरण का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 826 ग्राम झर तहसील बस्सी के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण के खातेदार स्व. छाजूराम के फौत होने पर तहसीलदार, बस्सी द्वारा दिनांक 25.10.2018 को वारिसनामा व शपथ पत्र के आधार पर स्व. छाजूराम के वारिसान जायन्दा पुत्र, पुत्रीयां एवं पत्नी के हक में विरासत के आधार पर निर्णित किया गया है। वकील अपीलाण्ट ने कथन किया न्यायालय के स्थगन आदेश होने के बावजूद नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। किन्तु वकील अपीलाण्ट्स द्वारा तत्समय स्थगन हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही अपीलाण्ट्स का अपीलाधीन नामान्तरकरण से हक अधिकार प्रभावित होते है। वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण पिता के फौत होने पर विरासत के आधार विधिक वारिसान के हक में खोला गया है इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति.कलक्टर-प्रथम,
जयपुर